न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 133/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. झूथर पुत्र मामराज

2. जसवन्त पुत्र हरदयाल

3. प्रकाश पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम जोडिया तहसील तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:-----वादीगण अपीलांटस

बनाम

1 सोमदत्त पुत्र श्रीराम जाति अहीर
2 शेरसिंह पुत्र श्रीराम जाति अहीर
3 म्हावीर पुत्र श्रीराम जाति अहीर
4 मूर्ति देवी पत्नी श्रीराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम जोडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर
5 अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक संशोधित नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर
6 राज0 सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार कोटकासिम
7 उप पंजीयक कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर

:-- असल प्रतिवादीगण रेस्पो0

8 सोनू पुत्र सुबेसिंह
9 मोनू पुत्र सुबेसिंह
10 श्रीमती सुनील पुत्री सुबेसिंह
11 श्रीमती संतोष पुत्री सुबेसिंह
12 श्रीमती भुतेर पुत्री सुबेसिंह

3/1/17

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

13 सुमित्रा पत्नी सुबेसिंह
14 निहाल पुत्र हरदयाल
15 श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी हरदयाल (फौत)
16 नरपाल पुत्र हरिसिंह (मृतक)
17 मुकेश पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासीयान ग्राम जोडिया तह0 कोटकासिम जिला अलवर
18 रेखा देवी पत्नी राजकुमार
19 मंजू देवी पत्नी राकेश कुमार जाति अहीर निवासी जोडियाकला तहसील फरूखनगर जिला गुडगांवा हरियाणा

:-- प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,

कोटकासिम दिनांक 30.9.2016

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री रामसिंह यादव

2. वकील रेस्पो 1 से 4 :- श्री दुर्लीचन्द

निर्णय दिनांक 31.10.19

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व वाद संख्या 139/2011 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 30.9.16 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 90 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, 91 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 92 रकबा 02 बिस्वा, 93 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा, 105 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 106 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 107 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, 115 रकबा 15 बिस्वा, 212 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 1137 रकबा 1 बीघा, 1138 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा,

31/10
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
उपखंड अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1136 मिन, जिनके हाल नम्बर 113/2-01, 114/1-16, 116/3-04, 132/1-14, 133/1-12, 134/3-07, 268/1-18, 1138/12-14, 1140/5-10, 1141/5-16 वाके ग्राम जोडिया तहसील कोटकासिम विवादित है । ये आराजीयात वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 ला0 4 की हिन्दू मुश्तर्का खानदान की दादालाई की है । पक्षकारान के मौरूसे आला मोहरसिंह पुत्र बिन्दा खातेदार थे । वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ला0 4 मोहरसिंह के जायज वारिसान है । सम्वत 1984 मिसल हकियत बंदोबस्त मौजा जोडिया नम्बर हदबस्त 36 तहसील व निजामत कोटकासिम राज सवाई जयपुर में उनके नाम का अंकन हो रहा है । मोहरसिंह की फौतगी के बाद विवादित भूमि पर उसके जायज वारिसान मामराज व उदयराज पुत्रान मोहरसिंह समभाग में काबिज हो गये । मामराज फौत हो चुका है,जिसके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण है । तथा उदयराम भी फौत हो चुका है, जिसके वारिसान श्रीराम था, वो भी फौत हो चुका है, जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ला0 4 है । श्रीराम ने साजाबाज होकर राजस्व कर्मचारियों से सम्वत 2014 में आराजी साबिक खसरा नम्बर 90, 91, 105, 106 सम्पूर्ण व आराजी साबिक खसरा नम्बर 212 का अंकन अपने नाम करा लिया । जबकि विविादित आराजी कुल रकबा 34 बीघा 19 बिस्वा थी, जिसमें से आराजी साबिक खसरा नम्बर 115 रकबा 15 बिस्वा दीगर व्यक्ति के नाम सम्वत 2010 में दर्ज हो गई । इस तरह विवादित आराजी कुल रकबा 34 बीघा 04 बिस्वा दादालाई की रही है । जिसमें से 1/2 भाग मामराज के वारिसान व 1/2 भाग पर उदयराम के वारिसान काबिज होने थे । परन्तु उदयराम के वारिस श्रीराम ने राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के साजबाज होकर सम्वत 2014 में अपने 1/2 भाग से ज्यादा भूमि का अंकन करा लिया । जमाबन्दी सम्वत 2014 के बाद जमाबन्दी सम्वत 2029 में श्रीराम ने हाल खसरा नम्बरान 113, 114, 132, 133, 268, 1138 को तन्हा अपने नाम करा लिया । श्रीराम के देहान्त के बाद उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 4 के नाम गलत तौर पर दर्ज हो गई । दादालाई की विवादित आराजी कुल रकबा 34 बीघा 04 बिस्वा में से 17 बीघा 02 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिये, जबकि वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से में मात्र 14 बीघा 04 बिस्वा ही आई है । इस तरह प्रतिवादीगण संख्या 1 ला.0 4 के हिस्से में 5 बीघा 09 बिस्वा आराजी ज्यादा आई है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

इस 5 बीघा 09 बिस्वा आराजी में से 1/2 भाग यानि 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से में दर्ज होनी चाहिये । आराजी हाल खसरा नम्बर 1140 में 1.17 बीघा तो दादालाई वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगणकी है, जबकि आराजी हाल खसरा नम्बर 1140 में 3.13 बीघा आराजी, 1136 मिन में वादीगण को काश्त के अनुसार प्राप्त हुई है । इसी तरह आराजी हाल खसरा नम्बर 1138 में 10 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 4 की दादालाई की है । जबकि आराजी हाल खसरा नम्बर 1138 में 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि साबिक खसरा नम्बर 1136 मिन में काश्त के अनुसार प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 4 को प्राप्त हुई है । आराजी हाल नम्बर 116 में से वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 व 17 ने 1/3 हिस्सा फोरमल पक्षकार संख्या 18 व 19 को बेचानर कर दिया । वादी संख्या 01 व 02 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ला0 15 व वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 व 17 प्रतिवादी संख्या 1 ला0 4 के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 268/1–18 में से अपने 19 बिस्वा पर व आराजी हाल खसरा नम्बर 132/1–14 में से अपने नाम 05 बिस्वा पर व आराजी हाल खसरा नम्बर 1138/12–14 में से अपने 1 बीघा 10 बिस्वा पर 1/3, 1/3, 1/3 समभाग पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 4 के साथ शामलात में काबिज है । इसलिये विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 268/1–18 में से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने 19 बिस्वा तक व आराजी हाल खसरा नम्बर 132/1–14 में से अपने 05 बिस्वा तक व आराजी खसरा नम्बर 1138/12–14 में से अपने 1 बीघा 10 बिस्वा तक प्रतिवादी संख्या 01 ला0 4 का नाम कलमजन करवाने व अपने आपको वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को 1/3, 1/3, 1/3 समभाग में खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी वादीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि पक्षकारान के पूर्वज मोहरसिंह की थी । मोहरसिंह के 2 पुत्र मामराज और उदयराम हुये । इन दोनों को देहान्त हो चुका है । मामराज के वारिसान वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण है तथा उदयराम के वारिस श्रीराम थे,जिसने चालाकी से दादालाई की भूमि पर अपने हिस्से से ज्यादा भूमि अपने नाम दर्ज करा ली । हमने जो सजरा प्रस्तुत किया है,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उसको रेस्पो0 द्वारा सही बताया गया है । रेस्पो0 प्रतिवादीगण का यह कहना गलत है कि विवादित आराजी का पहले ही बंटवारा हो चुका है और पक्षकारान बंटवारा अनुसार काबिज है । तनकी नम्बर 01 विवादित आराजी के मोहरसिंह की होने बाबत थी और यह एडमिट तथ्य है कि हमारे पूर्वज मोहरसिंह की ही आराजी थी और उसके 2 लडके हुये थे । इस प्रकार विवादित आराजी में वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण और प्रतिवादीगण संख्या 01 ला0 4 का समान भाग होना चाहिये । परन्तु गलत तौर पर यह तनकी हमारे विरूद्ध तय कर दी । तहत न्यायालय ने यह गलत माना है कि हमारा कब्जा नहीं था । हमारा कब्जा सम्वत 2012 से पूर्व से ही चला आ रहा है । रियासत काल से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है । रियासत खत्म होने पर तथा नई सरकार आने पर 1948 में प्रोटैक्शन ऑफ टिनेंट 1955 तक चला । इसमें प्रावधान था कि किसी टिनेंट को भूमि से बेदखल न किया जावे । हमारा जोडिया ग्राम जयपुर स्टेट में था और जयपुर स्टेट का अलवर स्टेट से अलग राजस्व कानून था । हमारे गांव पर अलवर स्टेट का कानून लागू नहीं होता था, जयपुर स्टेट का कानून लागू होता था । इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति का भूमि में हिस्सा निहित है तो उसका भूमि पर कब्जा माना जावेगा । 1955 से पहले तकसीम के लिए स्टेट से अनुमति लेनी होती थी । इसके बाद भूमिधारी तकसीम के वाद में पक्षकार होता था । अगर रेस्पो0 भूमि का बंटवारा 2012 से पूर्व ही होना बताते हैं तो उस ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत करें । सत्यता तो यह है कि भूमि विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है । भू राजस्व अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अगर भूमि का बंटवारा हुआ है तो उसकी साक्ष्य घटना बही या अन्य कोई आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य है । तनकी नम्बर 01 में बंटवारा सम्बन्ध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, मात्र जुबानी तौर पर कहने से ही गलत तौर पर तहत अदालत ने मान लिया कि पूर्व में बटवारा हो चुका है । भू प्रबन्ध विभाग को किसी की भूमि कम ज्यादा करने का अधिकार नहीं है । अगर भू प्रबन्ध विभाग कोई रेकार्ड चैंज करता है तो दूसरे पक्षकार की सहमति लेता है । तहत अदालत ने सभी तनकियात का निर्णय केवल कयास और प्रतिवादीगण की बहस के आधार पर कर दिया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । तहत अदालत ने अपने विवेचन में हर जगह ऐसा प्रतीत होता, ऐसा प्रतीत होता है, लिखकर निर्णय हमारे विरूद्ध कर दिया । कयास के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता । हमने हमारे वाद पत्र को दस्तावेजी

31/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

एवं मौखिक साक्ष्य से साबित कराया है, परन्तु गलत तौर पर हमारा वाद पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में नजीरों 2006 आर0 आर0 डी0 पेज 145, 2002 आर0 आर0 डी0 पेज 356, डी0 एन0 जे0 (एस0सी0) पेज 208, ए0आई0आर0 राजस्थान 2015 पेज 179 फुल बैंच, 2011 आर0 आर0 डी0 पेज 508 का हवाला दिया ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ला0 4 का कथन है कि यह सही है कि विवादित आराजी हमारे पूर्वज मोहरसिंह की थी । परन्तु विवादित रकबा से अपीलांटस एवं तरतीबी रेस्पो0 का कोई लेना देना नहीं है । इन्होंने पुराने खसरा नम्बरों का कुल रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा और नये नम्बरों का कुल रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा बताया है । इस प्रकार 3 बीघा 10 का अन्तर है । ये अन्तर क्यों है, ये इन्होंने नहीं बताया है । इसका इन्होंने संशोधन हेतु कोई प्रा0 पत्र भी नहीं दिया । इसी प्रकार खसरा नम्बर 90 से 1137 तक इन नम्बरान का रकबा 36.04 और पुराने नम्बरों का रकबा 54.08 बताया गया है । इस प्रकार 18.04 बीघा का अन्तर क्यों है, ये नहीं बताया । इन्होंने यह भी नहीं बताया कि किस खसरा नम्बर में से कितना रकबा इनको चाहिये । कृपया वाद पत्र के जिम्मन नम्बर 04 का अवलोकन फरमावें । इसमें वादी ने अंकित किया है कि 17.02 बीघा आनी चाहिये । वादी के अनुसार इनके पास 14.04 बीघा आई है और प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 4 यानि हमारे पास 19.13 बीघा आ गई है । इस प्रकार 5.09 बीघा हमारे पास ज्यादा आना बताते हैं । इसमें से आधी 2.14 बीघा का ये क्लेम कर रहे हैं । इन्होंने केवल 3 खसरा नम्बर 132, 268, 1138 में क्लेम किया है । इन तीनों नम्बरों में से 5 बिस्वा, 19 बिस्वा, 1.10 बीघा कुल रकबा 2.14 बीघा चाह रहे हैं । इस प्रकार इनका दावा डिफेक्टिव है । जिस रेकार्ड को ये चैलेंज कर रहे हैं, उसमें 17.17 बीघा है । इसमें से इनको 15 बिस्वा चाहिये, किस आधार पर चाहिये, नहीं बताया । वास्तविकता यह है कि विवादित आराजी का पूर्व में ही बंटवारा हो चुका है और पक्षकारान इस बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज है । बंदोबस्त ने कब्जे के आधार पर सही इन्द्राज किये हैं । इनका विवादित रकबा पर कब्जा नहीं है । घोषणात्मक वाद में कब्जा जरूरी है । गवाहों ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि मामराज और उदयराम ने अपने जीते जी आराजी का बंटवारा कर दिया था, पक्षकारान के मध्य कभी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

भी बंटवारा को लेकर झगडा नहीं हुआ । फैमिली सैटिलमैंट को मान्यता प्राप्त है । जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जो पक्षकार जैसे काबिज था, उसी अनुसार खातेदार हो गया । ये खसरा नम्बर 132, 268, 1138 में से कुछ रकबे पर खातेदारी चाह रहे हैं, क्या इन पर इनका कब्जा है । अलग अलग खसरा नम्बरान में से अलग अलग रकबा मांग रहे हैं, किस आधार पर मांग रहे हैं ।इन्होंने यह नहीं बताया कि ये क्यों इतने रकबे पर ही शामलात मे काश्त कर रहे हैं । इन्होंने यह भी नहीं बताया कि कितने रकबे पर ये अलग काश्त कर रहे हैं । इनका विवादित रकबे पर ना तो कब्जा है और ना ही दादालाई की हैसियत से ये विवादित रकबा मांग सकते हैं । क्योंकि बंदोबस्त विभाग ने कब्जे अनुसार सही इन्द्राज किया है । 1989 आर0 आर0 डी0 पेज 527, 774 तथा 2011 (2) आर0 आर0 टी0 1170 के अनुसार बिना कब्जे के घोषणा का वाद नहीं लिया जा सकता । इनके हक में 14.04 बीघा रकबा कैसे आया । कुल रकबा कम्बाईंड में क्यों नहीं आया । अगर गलत इन्द्राज हो गया था तो पूर्व में ही दावा क्यों नहीं किया । अब दावा किया गया है, जो कि भूमि पैत्रिक होने के नाते विबंधित है । इनके पास पहले से ही 15 बिस्वा भूमि ज्यादा है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना है कि खसरा नम्बर 1138 हमारा पुराना रकबा है । इसका मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है । खसरा नम्बर 1140 रकबा 1.17 व 1141 रकबा 5.16 हमारे रहे हैं । ये हमारी कदीमी नम्बर 1138 का रकबा है । खसरा नम्बर 1136 रकबा 3.13 मोहरसिंह का दादालाई का नहीं है । ये खसरा नम्बर 1140 व 1141 में शामिल थीं, इसलिये जमीन बढ गई । इसलिये भू प्रबन्ध ने लिख दिया । खसरा नम्बर 1136 मिन रकबा 3.13 में अलग से खातेदारी में मिली है । खसरा नम्बर 1138 परिवार की सम्पत्ति है । नये मिलान क्षेत्रफल में 12.04 बीघा है, इसमें भी 1136 खसरा नम्बर का 2.02 बीघा शामिल है, जो प्रतिवादीगण संख्या 01 ला0 04 के पास है ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । प्रकरण में मुख्य विवाद दादालाई की भूमि को लेकर है, जिसके सम्बन्ध में विद्वान वकील वादी अपीलांट का कथन है कि दादालाई की भूमि

5/1/10
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

समान हिस्सा होना चाहिये, लेकिन श्रीराम ने चालाकी से ज्यादा रकबा अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि दूसरी ओर प्रतिवादीगण रेस्पो0 संख्या 1 ला0 4 का कथन है कि आराजी का पूर्व में बंटवारा हो चुका है और पक्षकारान अपने हिस्से अनुसार काबिज है तथा बंदोबस्त विभाग ने कब्जे अनुसार सही इन्द्राज किये हैं । पक्षकारान के इन तर्कों के सम्बन्ध में हमने तहत पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । साथ ही तहत न्यायालय के निर्णय का भी अवलोकन किया । तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की तनकीवार समीक्षा निम्न प्रकार है :-

7 तनकी नम्बर 01:-

आया आराजी साबिक खसरा नम्बर 90, 91, 92, 93, 105, 106, 107, 115, 212, 1137 वाके ग्राम जोडिया फरीकेन के मौरूसे आला मोहरसिंह पुत्र बिन्दा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । मिसल हकियत बंदोबस्त सम्वत 1984 प्रदर्श 2 में ये नम्बर मोहरसिंह के नाम दर्ज है । इस प्रकार सिद्ध है कि विवादित भूमि पक्षकारान के पूर्वज मोहरसिंह की थी । तहत अदालत ने भी इस तनकी के निर्णय में विवादित भूमि को मोहरसिंह की होना निर्णित किया है । अतः तहत न्यायालय द्वारा इस तनकी में पारित निर्णय को यथावत रखा जाता है ।

तनकी नम्बर 02 :-

आया साबिक खसरा नम्बर 90, 91, 105, 106, 212 वाके ग्राम जोडिया का जमाबन्दी 2014 से 2019 में प्रतिवादी संख्या 1 ला0 4 केक पिता श्रीराम ने अपने नाम का गलत अंकन कराया है,जिसको वादी व तरतीबी प्रतिवादी दुरूस्त कराने के अधिकारी है ।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । जमाबन्दी सम्वत 2014 में इन नम्बरों पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है । जो कि गलत है । जब यह सिद्ध है कि विवादित भूमि दादालाई की भूमि है तो ऐसी स्थिति में मोहरसिंह के वारिसान के मध्य भूमि समान भाग में दर्ज होनी चाहिये थी, अकेले प्रतिवादी के नाम नहीं । प्रतिवादी ने इसका बचाव करते हुये बताया कि ये भूमि पूर्व में हुये बंटवारे में उनके नाम आई है । अगर बंटवारा हुआ है तो उसका साक्ष्य प्रतिवादीगण को प्रस्तुत करना चाहिये था । कहने मात्र से ही

3/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

यह तथ्य स्वीकार नहीं किया जा सकता कि बंटवारा हुआ था । तहत अदालत ने भी कयास के तौर पर मान लिया कि बंटवारा हुआ है । स्वयं प्रतिवादीगण यह मान रहे हैं कि विवादित भूमि दादालाई की है । दादालाई की भूमि में सभी पक्षकारान का समान हिस्सा होता है । जमाबन्दी सम्वत 2014 के इन्द्राज बंदोबस्त जमाबन्दी 2029 में भी हो गये । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहत न्यायालय द्वारा इस तनकी के सम्बन्ध में पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं है, जो खारिज किया जाता है तथा यह तनकी वादीगण अपीलांट के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी नम्बर :– 03

आया हाल खसरा नम्बर 113, 114, 132, 133, 238, 1138 वाले ग्राम जोडिया को प्रतिवादी श्रीराम, जो कि प्रतिवादी संख्या 01 ला0 4 के पति व पिता के नाम सैटिलमैंट विभाग ने गलत अंकन किया है, जिसे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण दुरूस्त कराकर 1/3, 1/3, 1/3 भाग के खातेदार का अमल कराने के अधिकारी है ।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बरों पर पक्षकारान के पूर्वज मोहरसिंह का नाम दर्ज था । उनके देहान्त के बाद उसके वारिसान के नाम भूमि समान भाग में दर्ज होनी चाहिये थी । परन्तु सम्वत 2014 में भूमि समान भाग में दर्ज न करवाकर ज्यादा भूमि प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज करवा ली । इसके बाद बंदोबस्त ऑपरेशन के बाद भी भूमि के रकबे में फेरबदल कर दिया गया अर्थात ज्यादा रकबा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया, जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादीगण रेस्पो0 संख्या 01 ला0 4 का कहना है कि बंदोबस्त विभाग ने कब्जा व मौके अनुसार सही रकबा दर्ज किया है । प्रतिवादीगण रेस्पो0 का यह कथन नितांत गलत है, क्योंकि बंदोबस्त विभाग को पुराने रकबे को हीं दोहराने का अधिकार है । उसे किसी के रकबे को कम ज्यादा करने का अधिकार नहीं है । तहत न्यायालय ने भी यही अंकित कर दिया कि मौके अनुसार बंदोबस्त विभाग ने सही इन्द्राज किया है,जो कि विधिसम्मत विवेचन नहीं है । अतः तहत न्यायालय द्वारा इस तनकी के सम्बन्ध में जो विवेचना की गई है, वह उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में विधिसम्मत नहीं है । लिहाजा इस तनकी के सम्बन्ध में तहत अदालत का

5/1/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, आबूरोड

Scanned by CamScanner

निर्णय खारिज किया जाता है तथा यह तनकी वादीगण अपीलांटस के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी नम्बर :– 04

आया वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण विरूद्ध विरूद्ध प्रतिवादीगण हुकमइम्तनाई दवामी की डिक्री पाने के अधिकारी है ।

उपरोक्त सभी विवेचन की रोशनी में यह सिद्ध हो चुका है कि विवादित भूमि पक्षकारान के पूर्वज मोहरसिंह की थी और उसके वारिसान के मध्य विवादित भूमि समान भाग में दर्ज होनी चाहिये थी, परन्तु ज्यादा रकबा प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि वादीगण का 1/3, तरतीबी प्रतिवादीगण का 1/3 भाग तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ला0 4 का 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिये । इस प्रकार वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि पर हुकम इम्तनाई दवामी की डिक्री पाने के अधिकारी है । अतः इस तनकी के सम्बन्ध में तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज किया जाता है तथा यह तनकी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी नम्बर :– 05

आया फरिकेन की चौथी पीढी के मालिक मामराज व उदयराम दोनों सगे भाई थे, जिन्होंने 60 साल पहले ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व ही समस्त कारोबार व खेती की आराजी का विभाजन कर लिया था ।

इस तनकी के विवेचन में तहत अदालत ने अंकित किया है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में परिवारिक बंटवारा भू प्रबन्ध से पूर्व होना प्रतीत होता है, उसी अनुसार आराजी दर्ज रिकार्ड हुई है, जिसको दुरूस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । तहत अदालत का यह विवेचन विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि बंटवारा सम्बन्धी कोई रिकार्ड/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । बटवारा होना प्रतीत होने से बटवारा हुआ होना नहीं माना जा सकता, जब तक कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जावे । तहत न्यायालय ने इस तनकी का निर्णय केवल कयास के आधार पर किया है, जो कि न्यायोचित नहीं है । अतः इस तनकी के सम्बन्ध में तहत अदालत का निर्णय खारिज किया जाता है ।

3/1/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त तनकीवार समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि विवादित भूमि पक्षकारान के पूर्वज मोहरसिंह की थी । विवादित भूमि दादालाई की भूमि है, जिसका पूर्व में कोई बंटवारा नहीं हुआ था । और ना ही बंदोबस्त विभाग को रकबा कम ज्यादा करने का अधिकार है । विवादित भूमि में सभी पक्षकारान का समान हिस्सा निहित है, परन्तु श्रीराम ने सम्वत 2014 में विवादित भूमियों में से अपने हिस्से से ज्यादा भूमि अपने नाम दर्ज करा ली । जिसे दुरूस्त कराने का वादीगण अपीलांटस अधिकारी है । लिहाजा अपील अपीलांटस स्वीकार किये जाने योग्य है ।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.9.2016 निरस्त किये जाते हैं तथा वादीगण अपीलांटस का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 268/1–18 बीघा में से वादीगण अपीलांटस व तरतीबी प्रतिवादीगण के 19 बिस्वा तक प्रतिवादी संख्या 1 ला0 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 01 को 1/3 भाग का, वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 ला0 15 को 1/3 भाग का व वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17 को 1/3 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है । व इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 132/1–14 बीघा में से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के 05 बिस्वा तक प्रतिवादीगण संख्या 01 ला0 4 का नाम कलमजन कर वादी संख्या 01 को 1/3 भाग का, वादी संख्या 02 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 08 ला0 15 को 1/3 समभाग का व वादी संख्या 03 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17 को 1/3 समभाग का खातेदार घोषित किया जाता है और इसी प्रकार आराजी हाल खसरा नम्बर 1138 रकबा 12–04 बीघा में से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के 1–10 बीघा तक प्रतिवादीगण संख्या 01 ला0 4 का नाम कलमजन कर वादी संख्या 01 को 1/3 भाग, वादी संख्या 02 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 08 ला0 15 को 1/3 समभाग का एवं वादी संख्या 03 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 व 17 को 1/3 समभाग का खातेदार घोषित किया जाता है । उपरोक्त आराजीयात वाके ग्राम जोडिया तहसील कोटकासिम में स्थित है । उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद किया जावे ।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

31/10/19

(कमल राम मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 133/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. झूथर पुत्र मामराज

2. जसवन्त पुत्र हरदयाल

3. प्रकाश पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम जोडिया तहसील तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:-----वादीगण अपीलांटस

बनाम

1 सोमदत्त पुत्र श्रीराम जाति अहीर

2 शेरसिंह पुत्र श्रीराम जाति अहीर

3 म्हावीर पुत्र श्रीराम जाति अहीर

4 मूर्ति देवी पत्नी श्रीराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम जोडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर

5 अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक संशोधित नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर

6 राज0 सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार कोटकासिम

7 उप पंजीयक कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर

:-- असल प्रतिवादीगण रेस्पो0

8 सोनू पुत्र सुबेसिंह

9 मोनू पुत्र सुबेसिंह

10 श्रीमती सुनील पुत्री सुबेसिंह

11 श्रीमती संतोष पुत्री सुबेसिंह

12 श्रीमती भुतेर पुत्री सुबेसिंह

13 सुमित्रा पत्नी सुबेसिंह

14 निहाल पुत्र हरदयाल

15 श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी हरदयाल (फौत)

16 नरपाल पुत्र हरिसिंह (मृतक)

17 मुकेश पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासीयान ग्राम जोडिया तह0

31/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

कोटकासिम जिला अलवर

18 रेखा देवी पत्नी राजकुमार

19 मंजू देवी पत्नी राकेश कुमार जाति अहीर निवासी जोडियाकला तहसील फरूखनगर जिला गुडगांवा हरियाणा

:-- प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,

कोटकासिम दिनांक 30.9.2016

उपस्थित:- 1. वकील अपीलांट :- श्री रामसिंह यादव

2. वकील रेस्पो 1-4:- श्री दुलीचन्द

पर्चा डिक्री दिनांक 31.10.19

अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.9.2016 निरस्त किये जाते हैं तथा वादीगण अपीलांटस का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 268/1-18 बीघा में से वादीगण अपीलांटस व तरतीबी प्रतिवादीगण के 19 बिस्वा तक प्रतिवादी संख्या 1 ला0 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 01 को 1/3 भाग का, वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 ला0 15 को 1/3 भाग का व वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17 को 1/3 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है । व इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 132/1-14 बीघा में से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के 05 बिस्वा तक प्रतिवादीगण संख्या 01 ला0 4 का नाम कलमजन कर वादी संख्या 01 को 1/3 भाग का, वादी संख्या 02 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 08 ला0 15 को 1/3 समभाग का व वादी संख्या 03 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17 को 1/3 समभाग का खातेदार घोषित किया जाता है और इसी प्रकार आराजी हाल खसरा नम्बर 1138 रकबा 12-04 बीघा में से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के 1-10 बीघा तक प्रतिवादीगण संख्या 01 ला0 4 का नाम कलमजन कर वादी संख्या 01 को 1/3 भाग, वादी संख्या 02 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 08 ला0 15 को 1/3 समभाग का एवं वादी संख्या 03 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 व 17 को 1/3 समभाग का खातेदार घोषित किया जाता है । उपरोक्त आराजीयात वाके ग्राम जोडिया तहसील कोटकासिम में स्थित है । उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद किया जावे।

31.10.19

(कमल राम मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner